केस्म मुकदमा. :– टी.आई. मु0न0 34/8.7.19 सन............

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम
यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा श्री योगेश कुमार शर्मा एड. ने आज पेश किया गया ,रिपोर्ट अहलमद का अवलोकन किया गया । वकील सायल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र टी.आई. पर स्थगन चाहने बाबत निवेदन किया गया । बहस वकील सायल की प्रार्थना पत्र टी.आई. पर एक पक्षीय सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया । मुताबिक राजस्व रिकार्ड सायल की खातेदारी भूमि है जिसके कारण गैर सायल को यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहीत में आवश्यक है ।	
अतः आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.8.2019 तक गैर सायल वगै. को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम अमावरा में स्थित खातेदारी भूमि के आ.ख.न. 4570 रकवा 0.87 में सायल के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न तो स्वंय करे न किसी अन्य से करावे ।	
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल की तलवी जरिये रजिस्ट्री एडी से की जाकर पत्रावली दिनांक 06.8.2019 को पेश हो ।	
उप जिला कलक्टर बामनवास (जिला–स०मा०)	
6.8.19 पीठासीन अधिकारी उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 24-9-19 को पेश हो।	
27.8.19 आज पत्रावली तलब करने पर पेश हुई। वकील सायल एवं रीडर सायल स्वयं उप० हुये। सायल की ओर से मूल दावा विड्रा किया जा चुका है। अतः प्रा. पत्र T.I को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रा. पत्र T.I इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे।	राजूसाद
उप जिला कलक्टर बामनवास (जिला–स०मा०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Paridwal
Date: 2020.01.01 12:20:12 IST
Reason: SelfAttested